न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/459

1. ललित किशोर पुत्र प्रभातीलाल, जाति जाटव, निवासी भूगोर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान ।

–अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र कैलाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पलवा हाउस, अखैपुरा, अलवर, राजस्थान ।
2. हैप्पी देवी बेवा कैलाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पलवा हाउस, अखैपुरा, अलवर, राजस्थान ।
3. निर्मला पुत्री कैलाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पलवा हाउस, अखैपुरा, अलवर, राजस्थान ।
4. संतोष देवी पत्नी बन्ना राम, जाति मीणा, निवासी अम्बेडकर नगर, मु०पोस्ट परवेन, तहसील रैणी, जिला अलवर ।
5. मत्स्य विभाग फिसरलिंग रिपेयरिंग फार्म जरिये मत्स्य विभाग अधिकारी शीतल सदन, लाल डिग्गी के सामने अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

6. राजस्थान सरकार, जरिए लेण्ड होल्डर, तहसीलदार अलवर ।

–तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर प्रार्थना पत्र संख्या 03/8 उनवानी घनश्याम बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्यामबाबू पारीक रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–07.07.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

133, 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम केशरपुर तहसील अलवर जिला अलवर में आराजी खसरा नंबर 692 रकबा 2.79 है0 खातेदारान् हैप्पी, घनश्याम, निर्मल वगै0 के स्थान पर नवीन इन्द्राज खसरा नं. 692 रकबा 2.31 है0 मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के नाम व हाल खसरा नं. 701 रकबा 2.31 है0 को मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार अलवर को दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 11.06.2024 को दिये गये तत्पश्चात् पूर्व निर्णय में दर्ज खसरा नं. 701 रकबा 2.31 है0 के स्थान पर खसरा नं. 701 का रकबा 2.79 है0 संशोधित किये जाने के संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि असल रेस्पोडेन्टांन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि असल रेस्पोडेन्ट के पिता व पति कैलाशचन्द मीणा पुत्र प्रभातीलाल मीणा को उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 21.11.1992 को आराजी खसरा नं. 452 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम केसरपुर आवंटन किया गया था जिसका इन्तकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया। आवंटी कैलाश के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गया और राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा बन्दोबस्त सम्वत 2051–2017 में मिसल हकीयत बनाते समय आवंटित आराजी का खाता अलग से दर्ज नहीं किया गया और खाता संख्या 21 में आलाटी 5 बीघा दर्ज कर दिया गया, जिसे दुरूस्त कराने हेतु असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सहायक कलेक्टर अलवर के न्यायालय में वाद संख्या 1/119 सन् 2008 प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर अलवर द्वारा दिनांक 28.05.2012 को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का वाद खसरा नं. 452 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम केसरपुर खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी रेस्पोडेन्टान 1 लगायत 3 ने एक अपील संख्या 15/2017 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें जिला मतस्य विभाग जरिए मतस्य अधिकारी, लाल डिग्गी चौराहा को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बिना किसी आदेश के एवं बिना विचारण न्यायालय में पक्षकार न होते हुए अपील में पक्षकार बनाते हुए दायर कर दी जो अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2022 को बिना किसी आधार के स्वीकार करते हुए लेण्ड रिकार्ड आफिसर, उपखण्ड अधिकारी अलवर को निर्देशित किया कि तत्कालीन नक्शाट्रेस

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

के अनुसार मौके अनुसार हाल जमाबन्दी संवत 2070–2074 वाके ग्राम केसरपुर के खाता संख्या 202 कुल खसरा नं. 38 रकबा 13.5100 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का खसरा नं. अलग करते हुए नक्शाट्रेस कायम किया जावे। उक्त निर्णय की इजराय तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके सन्दर्भ में तहत अदालत द्वारा दिनांक 22.05.2024 को को पूर्व पत्रांक, न्यायालय/रीडर/ 71 दिनांक 02.02.2024 का हवाला देते हुए तहसीलदार अलवर को पत्र लिखा कि न्यायालय आर.ए.ए. अलवर के निर्णय दिनांक 07.01.2022 की आज तक पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें । पूर्व पत्र क्रमांक 02.02.2024 की पालना नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 में सारे तथ्यों को छुपाते हुए एक प्रार्थना पत्र संख्या 3/8 सन् 2024 अन्तर्गत धारा 133, 136 भू–राजस्व अधिनियम तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें खाता संख्या 202 संवत 2071–2074 के किसी भी खातेदार को पक्षकार न बनाते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया, जिस प्रार्थना पत्र में केवल सरकार को ही पक्षकार बनाया गया, जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/2024/37 से 56 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया कि खसरा नं. 701, 692 में दर्ज है दुरूस्ती कर खसरा नं. 701 रकबा 2.31 हे० रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एवं शेष खातेदारान के नाम हाल जमाबन्दी में हिस्सा अनुसार यथावत दर्ज करने के आदेश दिए गए। संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2024 में खसरा नं. 701 रकबा 2.31 हे0 के स्थान पर खसरा नं. 701 रकबा 2.79 है० पढे जाने के आदेश दिए गए शेष यथावत रखने के आदेश दिए गए जो आदेश गलत खिलाफ मंशाएं कानून व वकेयात होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त सह काश्तकारों को पक्षकार न बनाते हुए असल रेस्पोडेन्टांन ने केवल मात्र राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए धारा 133 व 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय ने प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय 11.06.2024 को व संशोधित निर्णय 05.08.2024 को मिन अपीलांट के पीछे से बालाबाला पारित किया गया है। मिन अपीलांट व अन्य सह काश्तकारान को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि मिन अपीलांट असल रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ विवादित आराजी का सह खातेदार काश्तकार है। तहत न्यायालय में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि खसरा नं. 692 रकबा 2.7900 मतस्य विभाग फिशरलिंग रिपेयरिंग रिफार्म के नाम हो बल्कि उक्त रकबे में सभी 39 काश्तकारों का हिस्सा है लेकिन गौर नहीं किया गया । विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय केवल राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाया गया था । मतस्य विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया और मतस्य विभाग के रकबे को ही बिना पुनः पक्षकार बनाये दुरूस्ती किए जाने के आदेश कानून विरूद्ध पारित किए गए है, जो काबिल गौर श्रीमान है। तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र 133 136 भू–राजस्व अधिनियम मेंन्टेनेबल नहीं था क्योंकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में केवल Undisputed Clerical Error ही दुरूस्त किए जा सकते है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2019 आरआरटी पार्ट–1 219 व 2015 आरआरटी पार्ट–1 पेज 10 सुप्रीम कोर्ट 2020, आरआरटी पार्ट–1 पेज 91, आरआरटी 2020 पार्ट–2 पेज 932 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मेन्टेनेबल नहीं था, क्योंकि तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने जो रिलीफ चाही है जो कानूनन 136 के प्रार्थना पत्र के तहत नहीं दी जा सकती है और ना ही किसी रकबे को कम या ज्यादा किया जा सकता है जबकि तहत न्यायालय ने आराजी खसरा नं. 701 रकबा 2.31 असल रेस्पोडेन्ट को दिए जाने के आदेश दिए है और जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किए जाने हेतु आदेशित किया है और खसरा नं. 692 रकबा 2.71 को मतस्य विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए है साथ ही साथ संशोधित आदेश में खसरा नं. 701 रकबा 2.31 है0 यथावत रकबा रखा गया जिसके ग्राम के रकबे में 0.48 है0 की कमी होना पाया गया है, इससे स्पष्ट है कि खसरा नं. 701 के रकबे में 0.48 रकबा अधिक दिया गया है, लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान है । तहत न्यायालय द्वारा असल रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत वाद की इजराय प्रस्तुत की गई और जिसमें तहत न्यायालय द्वारा इजराय की पालना करने हेतु लिखा गया और दुसरी तरफ तहत न्यायालय द्वारा ही 133, 136 के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो आदेश दोनों विरोधाभाषी है। जो कानून संवत नहीं दिया जा सकता है, लेकिन गौर नहीं किया गया । असल रेस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि साबिक खसरा नं. 452 के अनेक खसरा नं. बनाये गये क्योंकि 452 बडा रकबा था और जो दीगर लोगो को आवंटित किया गया है। तहत न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन भूमि के संबंध में कोई नक्शा या तीतम्बा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि रेस्पोडेन्ट को खसरा नं. 701 के स्थान पर ही कब्जा दिया गया था, तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया कि खसरा नं0 452 रकबा 5 बीघा जो उसे आवंटित हुआ है जिसका कौनसा बटा नम्बर बनाया गया और व कौनसे बटा नम्बर पर काबिज है और वो किस बटा नम्बर का खाता अलग करवाना चाहता है और किस आधार पर वह 452 रकबा 5 बीघा अपने खाते में लेना चाहता है। किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है। लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया, जो काबिल गौर श्रीमान है। असल रेस्पोडेन्ट स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि आराजी खसरा नं.0 452 रकबा 5 बीघा उनके पिता कैलाश को 21.11.1992 को आवंटन हुई थी और जब से वह उक्त आराजी पर काबिज है। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रकबे के संबंध में 2002 में दस साल बाद वाद दायर किया और 32 साल बाद प्रार्थना पत्र 133 व 136 प्रस्तुत किया है जो अपने आप में ही संदेह उत्पन्न करता है। लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया, जो काबिल गौर श्रीमान है तहत न्यायालय ने मिन अपीलांटान सहखातेदार राजस्व रिकार्ड को पक्षकार नहीं बनाया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया जबकि मिन अपीलांट का उक्त आराजी में हक व हिस्सा निहित है, जैसा कि जमाबंदी से स्पष्ट प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किये क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पो0 संख्या 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21–11–1992 को कैलाश मीना पुत्र प्रभातीराम मीना निवासी अखैपुरा अलवर को ग्राम केशरपुर तहसील अलवर में आराजी खसरा नम्बर 452 में रकबा 5 बीघा

भूमि आवंटन की गई थी। जिसका इन्तकाल दर्ज होकर जमाबंदी में इन्द्राज किया जा चुका है। आवंटी कैलाश मीना का देहान्त होने के पश्चात् वारिसान विधिवत राजस्व रिकार्ड में विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बंदोवस्त सम्वत् 2051–2070 में बनायी गई मिसल हकीयत में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की अलॉटशुदा खातेदारी की आराजी का खाता अलग से कायम नहीं किया गया नाही नम्बर कायम किया मात्र खाता संख्या 21 में केवल बतोर अलॉटी 5 बीघा दर्ज कर दिया। जिस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा एक दावा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 53 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया व नक्शा भी दुरूस्त किये जाने बाबत डिक्री चाही जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 07–01–2022 को निर्णय पारित कर आदेश प्रदान कर लैण्ड ऑफिसर (एस डी ओ) को निर्देशित किया गया कि आवंटी प्रार्थीगण को साबिक खसरा नम्बर 452 में 5 बीघा तत्कालीन नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके अनुसार हाल जमाबंदी (तत्कालीन) सम्वत् 2070–74 वाके ग्राम केसरपुर के खाता संन्य 202 खसरा नम्बर 382 रकबा 13.51 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण का अलग से खसरा नम्बर कायम करते हुए नक्शा ट्रेस उसी प्रकार कायम करते हुये दावा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में डिक्री कर दिया। उक्त आदेश की इजराय पेश कर तहसीलदार अलवर को पालना हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा भेजी गई तो तहसीलदार अलवर द्वारा अवगत कराया कि वक्त अलॉटमेन्ट यानी दिनांक 21–11–1992 जो सेटिलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 452 मिन में 5 बीघा आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बंदोवस्त के दौरान प्रार्थीगण की आराजी को नक्शा मौका अनुसार काबिज आज तक चले आ रहे है। उसे हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 701 जिसका खातेदार काश्तकार मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म दर्ज कर दिया। जबकि हाल खसरा नम्बर 701 रकबा 2.31 हैक्टेयर को राजस्व रिकार्ड में अंकन खाता संख्या 202 कुल किता 38 रकबा 13.51 हेक्टेयर वाके ग्राम केसरपुर में होना चाहिए तथा खसरा नम्बर 701 मत्स्य विभाग फीशरिंग रिफार्म का आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 हैक्टेयर होना चाहिए । हाल खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 हैक्टेयर हाल जमाबंदी खाता संख्या 202 में हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया लेकिन मौका हाल नक्शा अनुसार 2.31 हेक्टेयर पर नत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार अलवर को विधिवत् ही दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 11.06.2024 को दिये गये। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 व अन्य खातेदार आंवटियों के नाम इन्द्राज के आधार पर अंकन हो जाने के पश्चात् प्रार्थीनी रेस्पो0 संख्या 4 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2024 को क्रय कर ली एवं इसी आधार पर नामा0 संख्या 754 स्वीकृत हो गया एवं प्रार्थीनी भमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व नक्शे में प्रार्थीनी की तरमीम हो गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच व अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 की परिधि में नहीं होने के उपरान्त भी प्रार्थना

पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती के अवैध आदेश दिनांक 11.06.2024 को दिये गये। उक्त इन्द्राज राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 की परिधि में नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के प्रावधानों का विधिवत् अवलोकन नही कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दुरूस्ती करने के आदेश दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 17.10.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट प्रश्नगत भूमि के खाता संख्या 202 जमाबंदी सम्वत 2071–74 में अपीलांट सहखातेदार अंकित है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष ग्राम केशरपुर तहसील अलवर में आराजी खसरा नंबर 692 रकबा 2.79 है0 खातेदारान् हैप्पी, घनश्याम, निर्मल वगै0 के स्थान पर नवीन इन्द्राज खसरा नं. 692 रकबा 2.31 है0 मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के नाम व हाल खसरा नं. 701 रकबा 2.31 है0 को मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। इस संबध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सवोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने अनेकों दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया है कि:–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 136- Scope- Only clerical errors or some admitted errors which might have crept into the revenue records can be rectified under the section. When Section 136 is looked into and perused, it would be Crystal clear therefrom that the said power could be exercised by rectifying only the clerical errors or some admitted errors. Under this Section Land Record Officer can make correction in the record when mistake comes to his knowledge on his inspection of the land records or when such mistake is admitted by both the parties.

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के तहत् केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है। रकबे में कमी या अधिकता को संशोधित किया जाना धारा–136 में प्रावधित नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने जमाबंदी में खातेदार के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा धारा–136 के प्रावधानों के विपरित प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–136 की परिधि में नहीं आने के उपरान्त भी तहसीलदार अलवर को उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 11.06.2024 को दिये गये तत्पश्चात् पूर्व निर्णय में

दर्ज खसरा नं. 701 रकबा 2.31 है0 के रकबे में 0.48 है0 की कमी की दुरूस्ती कर खसरा नं. 701 का रकबा 2.79 है0 संशोधित किये जाने के संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2024 को दिये गये। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रभावित खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2024 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2024 निरस्त किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर